न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:–श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:–67/2021 (GCMS No. 2021/71) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. चरनसिंह पुत्र पोहपा उर्फ पोहपसिंह उम्र करीब 65 वर्ष
2. गया देवी वेवा तुरसी उम्र करीब 55 वर्ष
3. गंगाराम पुत्र प्रयागराज उम्र करीब 12 वर्ष नावालिग वसपरस्ती माता सपना
4. सपना वेवा प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष
5. मानव पुत्र प्रयागराज एम्र करीब 11 वर्ष नावालिग वसरपरस्ती माता सपना
6. रामकुमार पुत्र तुरसी उम्र करीब 30 वर्ष
7. दुर्गाचार पुत्र तुरसी उम्र करीब 28 वर्ष
8. शिवदत्त पुत्र तुरसी उम्र करीब 22 वर्ष
   समस्त जातिगण लाधा निवासीगण खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
9. श्रीदेवी उम्र 40 वर्ष पुत्री तुरसी पत्नि दाऊजी जाति लोधा निवासी खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर
10. राजो उम्र 38 वर्ष पुत्री तुरसी पत्नि रामनिवास जाति लोधा निवासी मांगरौल तहसील मनियां जिला धौलपुर
11. मिथलेश उम्र 36 वर्ष पुत्री तुरसी पतिन राधेश्याम जाति लोधा निवासी मंगरौली तहसील मनियां जिला धौलपुर
12. धनसिंह पुत्र पोहपा उर्फ पोहपसिंह उम्र 48 वर्ष
13. जावित्री पुत्री पोहपा उर्फ पोहपसिंह उम्र 55 वर्ष
14. रामबेटी पुत्री पोहपा उर्फ पोहपसिंह उम्र 50 वर्ष
15. पापुडी पुत्री पोहपा उर्फ पोहपसिंह उम्र 48 वर्ष
16. उर्मिला पुत्री पोहपा उर्फ पोहपसिंह उम्र 45 वर्ष
    समस्त जातिगण लोधा निवासीगण खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर

..... अपीलान्टस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत जाटौली
2. गैंदालाल पुत्र जोधा
3. दौलतराम पुत्र जोधा
4. वीरीसिंह पुत्र जोधा
5. मलखान पुत्र जोधा
6. सौदानसिंह पुत्र जोधा
7. ग्याप्रसाद पुत्र जोधा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

8. पूरनसिंह पुत्र रामचरन
9. कामेश्वर पुत्र रामचरन
10. त्रिवेणी पुत्री रामचरन
11. रामबेटी पुत्री रामचरन
12.सौनदेई पुत्री रामचरन
13. प्रेमसिंह पुत्र तोताराम
14. रामवीर पुत्र तोताराम
15. मंजू पुत्री तोताराम
16. आसनदेई पुत्री तोताराम
समस्त जातिगण लोधा निवासीगण खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 05/2020 उनवानी चरनसिंह बनाम ग्राम पंचायत जाटौली निर्णय दिनांक 30.03.2021 व सिलसिले नामान्तकरण संख्या 12 बांके ग्राम खरगपुरा ग्राम पंचायत जाटौली जिला धौलपुर

उपस्थितिः— 1. श्री रामअवतार गौड़, वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक— 20.02.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकण संख्या 12 वांके ग्राम खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर में उल्लेखित विवादित आराजी में अपीलान्टस के पूर्व पुरूष पोहपा उर्फ पोहपसिंह 1/2 भाग के तथा रेस्पोडैन्टस संख्या 2 लगा. 07 के पूर्व पुरूष जोधा पुत्र मोहनलाल 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। मुताबिक हिस्सा विवादित आराजी नामान्तकरण संख्या 12 में वर्णित बहिस्सा बराबर काबिज काश्त रहे। जोधा ने नामान्तकरण संख्या 12 में वर्णित आराजीयात में से अपना 1/2 भाग जरिये पंजीबद्व बयनामा तारीखी 11.10.1972 रेस्पोडैन्ट संख्या 8 लगा. 16 के पूर्व पुरूष रामचरन के हक में विक्रय कर दिया तथा कब्जा सौंप दिया। रामचरन द्वारा अधीनस्थ अधिकारी से साज कर अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज कराकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करा लिया जबकि मुताबिक पंजीबद्व बयनामा तारीखी 11.10.1972 केवल जोधा पुत्र मोहन लाल के 1/2 भाग के स्थान पर दाखिल खारिज किया जाना चाहिए था। सरपंच ग्राम पचांयत जाटौली द्वारा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 लगायत 8 को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से क्षेत्राधिकार से बाहर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बयनामा तारीखी 11.10.1972 बहक रामचरन में अंकित ख.नं. 14/2 रकवा 19 विस्वा बांके ग्राम खरगपुरा को ख.नं. 1412 रकवा 10 विस्वा समझकर बहुत बडी भूल की है। तथा साविक ख.नं. 14/2 रकवा 9 विस्वा से नवीन ख.नं. 33 रकवा 16 विस्वा निर्मित हुआ है। इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया जबकि पत्रावली पर मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेज उपलब्ध थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वयनामा में अंकित ख.नं. 1412 रकवा 10 विस्वा का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 12 एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खसरा नं. 33 रकवा 16 विस्वा से मिलान नहीं होने के कारण अपीलान्ट का कथन सिद्व नहीं होता है। इस प्रकार अपीलान्ट्स अपने कथनों को सिद्व करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमानी रवैया अपनाकर अपील अपीलान्ट 30.03.2021 को खारिज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट्गण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस अपीलान्ट सुनी गई। बावजूद सूचना अनुस्थित आने पर रेस्पो. के विरूद्व दिनांक 14.12.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को देहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। अपीलान्टस के पूर्व पुरूष पोहपा उर्फ पोहपसिंह 1/2 भाग के तथा रेस्पोडैन्टस संख्या 2 लगा. 07 के पूर्व पुरूष जोधा पुत्र मोहनलाल 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। मुताबिक हिस्सा विवादित आराजी में मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 12 में वर्णित बहिस्सा बराबर काबिज काश्त रहे। पोहपा उर्फ पोहपसिंह पुत्र मोहनलाल का निधन हो चुका है। पोहपा उर्फ पोहपसिंह के निधन उपरान्त विवादित आराजी में पोहपा उर्फ पोहपसिह को विरासत पुत्रगण चरनसिंह, तुस्सी, धनसिंह तथा पुत्रीयान जावित्री, रामबेटी, पापुडी व उर्मिला पर वहिस्सा बराबर प्रकान्त हुई। तुस्सी पुत्र पोहपा उर्फ पोहपसिंह का भी निधन का चुका है। अपीलान्ट संख्या 2 लगा0 11

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तुस्सी के वारिस व कायम मुकामान हैं। रामचरन पुत्र पुत्र गजाधर का भी निधन हो चुका है। रेंस्पोडैन्ट संख्या 8 लगा. 16 जायज बारिस व कायम मुकामान हैं। जोधा ने आराजीयात मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 12 में वर्णित आराजीयात में से अपना 1/2 भाग जरिये पंजीबद्व बयनामा तारीखी 11.10.1972 रेस्पोडैन्ट संख्या 8 लगा. 16 के पूर्व पुरूष रामचरन के हक में विक्रय कर दिया तथा कब्जा सौंप दिया। रामचरन द्वारा अधीनस्थ अधिकारी से साज कर अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज कराकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करा लिया जबकि मुताबिक पंजीबद्व बयनामा तारीखी 11.10.1972 केवल जोधा पुत्र मोहन लाल के 1/2 भाग के स्थान पर दाखिल खारिज किया जाना चाहिए था। सरपंच ग्राम पचांयत जाटौली द्वारा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 लगायत 8 को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नीयत से क्षेत्राधिकार से बाहर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बयनामा तारीखी 11.10.1972 बहक रामचरन में अंकित ख.नं. 14/2 रकवा 19 विस्वा बांके ग्राम खरगपुरा को ख.नं. 1412 रकवा 10 विस्वा समझकर बहुत बडी भूल की है। तथा साविक ख.नं. 14/2 रकवा 9 विस्वा से नवीन ख.नं. 33 रकवा 16 विस्वा निर्मित हुआ है। इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया जबकि पत्रावली पर मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेज उपलब्ध थे। अपील अपीलान्ट्स 30.03.2021 को खारिज फरमा दी गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की अपीलधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धौलपुर एवं अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश 11.10.1972 बावत् नामान्तकरण संख्या 12 बांके ग्राम खरगपुरा मंसूख फरमाया जावे।

4. बहस अपीलान्ट पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 14/2 रकवा 19 विस्वा बांक ग्राम खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर के नवीन ख.नं. 33 रकवा 16 विस्वा निर्मित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ख.नं. 14/2 रकवा 19 विस्वा के स्थान पर 14/2 रकवा 10 विस्वा जानबूझकर भूल की और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 30.03.2021 को हुआ किन्तु कोरोनाकाल के कारण अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 25.06.2021 को प्राप्त हुई और बिना देरी के अपील दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत कर दी। अतः देरी का कारण पर्याप्त है। विलम्ब के लिए क्षमा किया जाकर अपील ग्रहण की जावे और अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

5. पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट हे कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र विलम्ब में हुये आधारों को प्रकट करते हुये अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया है जिसके आधार न्यायालय के मत में पर्याप्त व उचित प्रतीत होते हैं। अतः अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित आराजी बावत् संलग्न वयनामा दिनांक 11.10.1972 में ख.नं. 14/2 रकवा 19 विस्वा होना प्रतीत होता है। विवादित आराजी के नवीन ख.नं. 33 रकवा 16 विस्वा निर्मित हुआ इस बावत् अधीनस्थ न्यायालय और न इस न्यायालय की पत्रावली में मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग का संलग्न नहीं है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत वयनामा में उल्लेखित ख.नं. 14/2 रकवा 19 विस्वा के तथ्य को गौर करते हुये समस्त आवश्यक दस्तावेजों की भलीभॉति परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना चाहिए था। उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट न्यायालय के मत में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का निर्णय दिनांक 30.03.2021 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादित आराजी के गत एवं नवीन खसरा नम्बर के संबंध में भली भॉति जॉचकर संलग्न वयनामा दिनांकित 11.10.1972 के तथ्यों के आलोक में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अन्दर 2 माह में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-02-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर